राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1407/ III/14

जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.2014	यह निगरानी तहसीलदार, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 16/अ-70/13713 में पारित आदेश दिनांक 5-3-14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदिका के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 5-3-14 का अवलोकन किया गया। आवेदिका के अभिभाषक ने बताया है कि दिनांक 5-3-14 को तहसीलदार सागर के न्यायालय में गुमराह करते हुये आवेदिका के खसरा नंबर 71/35 में बनी कालोनी के बीच में साई मंदिर के पीछे शिवमंदिर पर धारा 250 की कार्यवाही हेतु आवेदन दिया एंव राजनैतिक दवाव बनाकर 5-3-14 को हलका पटवारी से प्रतिवेदन बनवाकर इसी दिन गलत ढंग से स्थगन आदेश दिया गया है, जिसे निरस्त किया जावे। 3/ उक्तानुकम में तहसीलदार सागर के आदेश दि. 5-3-14 के अवलोकन से परिलक्षित है कि मौजा कमरोनिया बुजुर्ग स्थित आराजी कमांक 71/8 में से रकबा 900 वर्गफुट पंजीकृत विकय पत्र से विकय-कय हुआ है जिस पर आवेदिका व्दारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। मौके की स्थिति के संबंध में पटवारी रिपोर्ट अनुसार सुविधा सन्तुलन अनावेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदिका व्दारा अवैध निर्माण कार्य करते चले आने से संहिता की धारा 52 के अंतर्गत अंतरिम आदेश पारित करके	

... 71/35 में जारी कराया।

तहसीलदार ने प्रकरण के निराकरण तक स्थगन दिया है जिस पर विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या तहसीलदार संहिता की धारा 52 के अंतर्गत प्रकरण के अंतिम निराकरण (कोई समय सीमा नहीं) तक स्थगन आदेश जारी कर सकते हैं ?

> भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 52 – म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित सॅशोधन कमांक 42 सन् 2011 की धारा 13 व्दारा म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 में किये गये सॅशोधन अनुसार आदेश का निष्पादन एक वार में तीन मास से अधिक के लिये या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जायेगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार सागर व्दारा प्रकरण कमांक 16/अ–70/13713 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–3–14 से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक दिया गया स्थगन नियम विरूद्व पाये जाने से निरस्त किया जाता है। सम्बद्व पक्ष यदि स्थगन चाहते हैं तहसील न्यायालय में नये सिरे से धारा 52 का आवेदन देने हेतु स्वतंत्र हैं।

4/ तद्नुसार निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य